राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

क्रमांक :– प.10(567) परि/स.सु./स्टेट काउंसिल/2015/17-522 जयपुर, दिनांक :– 23/7/19

माननीय परिवहन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में "स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल" की दिनांक 24.06.2019 को आयोजित 15वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

माननीय परिवहन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में **"स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल"** की 15वीं बैठक दिनांक 24.06.2019 को शासन सचिवालय स्थित मुख्य भवन के समिति कक्ष संख्या–1 में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण तथा विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधिगण की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 11.10.2017 को आयोजित गत बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा कर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही उक्त निर्णयों की निरन्तरता में निम्न निर्देश दिए गए :–

परिवहन विभाग

1. सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में काउंसिल के सदस्यों की अनुपस्थिती पर नाराजगी जतायी गयी तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इस हेतु निर्देशित किया गया।
2. राज्य में वर्ष 2019 के अन्त तक सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे कारित मृत्युदर को 10% कम करने का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।
3. तीन या तीन से अधिक मृत्यु वाली गंभीर प्रकृति की सड़क दुर्घटनाओं की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रथम 48 घण्टों के भीतर मय पुलिस विभाग की 17 बिन्दु सूचना के प्रारूप में सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को भेजी जाये तथा प्रतिमाह प्राप्त हुई सड़क दुर्घटनाओं की रिपोर्टस् का विश्लेषण/ समीक्षा सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा भी कराई जाए।
4. राज्य में सड़क सुरक्षा का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। इस उद्देश्य से समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 50–50 अग्रदूत (Volunteer) चिन्हित/चयनित कर निःशुल्क प्रशिक्षित किया जायेगा जो एक विशेष प्रकार का अग्रदूत हेलमेट धारण करेंगे। यह अग्रदूत सड़क सुरक्षा का प्रचार–प्रसार, दुर्घटना में घायल की मदद एवं जाम खुलवाने जैसे कार्यो में सहयोग प्रदान करेंगे। उनकी एक पृथक से निर्देशिका तैयार कर एप के माध्यम से जोडे जाने पर विचार किया जावे।
5. विश्व बैंक परियोजना के तहत् सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से चलाये गये सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान में पूर्व में प्रशिक्षित 1,00,000 स्वयं सेवकों के नाम भी अग्रदूतों की निर्देशिका में सम्मिलित किया जावे।
6. सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित संवेदनशील ऑडियो/वीडियो विज्ञापनों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारण किया जावे।
7. समर्पित सड़क सुरक्षा कोष संचालन समिति की बैठक का शीघ्र आयोजन किया जाये।
8. वर्तमान समर्पित सड़क सुरक्षा कोष के बजट प्रक्रिया की जटिलता को देखते हुए वित्त विभाग को इसकी पुनः समीक्षा करने के निर्देश दिये गये। सड़क सुरक्षा फण्ड का पी.डी. खाता खुलवाये जाने पर विचार करने के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए।
9. आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह के अतिरिक्त वर्ष पर्यन्त नियमित अभियान चलाये जाएँ।
10. स्वयं सेवी संस्थाओं के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशानिर्देशों की तर्ज पर राज्य में दिशा निर्देश जारी करने पर विचार किया जाये।
11. प्रवर्तन कार्मिक अपनी ड्यूटी के दौरान सड़कों पर सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में पायी गयी कमियों की रिपोर्ट जिला सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को अविलम्ब प्रेषित करें ताकि उन्हें दुरूस्त कराया जा सके।

12. जिला कलेक्टर्स द्वारा पूर्व में निर्धारित गति सीमा अधिसूचनाओं की समीक्षा कर व्यवहारिक रूप से गतिसीमाओं का पुनःनिर्धारण किया जाये।

पुलिस विभाग

13. राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में दुपहिया वाहन चालकों की मृत्युदर का प्रतिशत (34%) सर्वाधिक है एवं ज्ञातव्य है कि जयपुर शहर में अन्य जिला मुख्यालयों की तुलना में चालानों की संख्या में काफी अन्तर है। अतः इसके लिए जयपुर शहर की तरह अन्य जिला मुख्यालयों पर भी हेलमेट के चालानों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए।
14. प्रवर्तन कार्मिक अपनी ड्यूटी के दौरान सड़कों पर सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में पायी गयी कमियों की रिपोर्ट जिला सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को अविलम्ब प्रेषित करें ताकि उन्हें दुरुस्त कराया जा सके।

सड़क सम्बन्धी विभाग

15. बैठक में निर्णय लिया गया कि समस्त सड़क निर्माण विभागों को ब्लैक स्पॉट निवारण हेतु समर्पित सड़क सुरक्षा फण्ड से राशि नहीं दी जायेगी क्योंकि यह कार्य उन विभागों का ही मूल कार्य है।
16. समस्त रोड ओनिंग एजेन्सीज को निर्देश दिये गये कि राजमार्गो से जुडने वाली ग्रामीण एवं शहरी सड़कों के चौराहे/तिराहों को सुधारा जाये क्योकि ग्रामीण एवं शहरी सड़को से आने वाले दुपहिया, चौपहिया वाहन सीधे राजमार्गो पर आने के कारण दुर्घटनाओं की सम्भावना बढ़ जाती है। अतः राजमार्ग पर जुड़ने से पूर्व Merger/Diversion/Slip lane सड़कों के प्रावधान की सुनिश्चितता की जावे।
17. समस्त रोड ओनिंग एजेन्सीज को निर्देशित किया गया कि राजमार्गो पर गतिसीमा के बोर्ड अधिक संख्या में नियमित अन्तराल के बाद लगाये जाये। Speed Limit Stretch के शुरूआत व अन्त में स्पीड लिमिट साइन बोर्ड लगाया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं गति नियंत्रण हेतु Speed Detecting Cameras लगाये जावे तथा उन स्थानों पर "आप कैमरे की नजर में है/You are Under Camera Surveillance" के साइन बोर्ड लगाये जाये।
18. समस्त सड़क निर्माण विभागों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो पर आवारा पशुओं से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आबादी क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर रेलिंग लगायी जाने पर विचार किया जावे।
19. राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी वेन्डिग पॉलिसी की पालना करायी जाये।
20. SRF Fund का 10% प्रतिशत बजट सड़क सुरक्षा हेतु संरक्षित करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

21. राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजमार्गों के सड़क निर्माण विभागों की एम्बुलेंस को राज्य की 108 एम्बुलेंसेस से जोडे जाने हेतु पॉलिसी तैयार करायी जाये ताकि प्रति 50 किमी. पर एक एम्बुलेंस उपलब्ध हो सके।
22. दुर्घटना घटित होने के पश्चात् घायलों को मदद पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य में Emergency Response Support System तैयार करने का निर्णय लिया गया जिसमे पुलिस/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य इत्यादि सेवाओं का केन्द्रीयकरण किया जाये ताकि सड़क दुर्घटना के समय एक ही नम्बर का उपयोग कर दोनों सेवाओं का उपभोग किया जा सके।

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(राजेश यादव)
शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त तथा सदस्य सचिव,
स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल

क्रमांकः— एफ 10(567) परि/स.सु./स्टेट कौंसिल/2015 जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं परिवहन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
9. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, यातायात, राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, जयपुर
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
17. निजी सचिव, मुख्य अभियंता, सड़क, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
18. महाप्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, एन.एच.ए.आई, एफ–120, जनपथ, श्यामनगर, जयपुर।
19. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज (ऑटो मोबाईल इंजिनियर), जयपुर।
20. निदेशक, सेंटर फॉर रोड़ सेफ्टी, सरदार पटेल सामाजिक एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, कैम्पस– राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
21. मैनेजिंग ट्रस्टी, सहायता संस्था, 297, तरूछाया नगर, टोंक रोड़, जयपुर।
22. मैनेजिंग ट्रस्टी, मुस्कान संस्था, 45, हरिकिशन सोमानी मार्ग, हथरोई, अजमेर रोड, जयपुर।
23. जन सम्पर्क अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
24. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (स.सु.)

माननीय परिवहन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2019 को समिति कक्ष संख्या 1, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित ''स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल'' की 15वीं बैठक में उपस्थिति का विवरण

क्र. सं.	नाम	पद / विभाग	टेलीफोन / मोबाइल नम्बर / ई-मेल	हस्ताक्षर
1.	प्रदीप कुमार बोरड़	Commissioner College Edu.	9414016107	[signature]
2.	अपूर्व जोशी	JSF (Revenue)	9982239000	[signature]
3.	मुकेश जैन	CGM NHAI	7073718555	[signature]
4.	सुनील भाटी	AD. DLB	9413349447	[signature]
5.	Dr Maya Tandon	Chairperson SAHAYTA	9414078998	[signature]
6.	Tarachand Saharan Secretary SAHAYTA		9829297297	[signature]
7.	Bherans Arora	Centre Coordinator, CRS, SPUP	9829733893	[signature]
8.	H. K. Sharma	Addl T.C	9460981331	[signature]
9.	Pankaj K. Singh ADG	Police		[signature]
10.	Sudhir Sharma	S S, Finance		[signature]
11.	Gaurav Chaturvedi	J.S. P.R.	9414066766	[signature]

D:\road safety\Attendance list

12.	Kanhaiya Lal Swami	J.S. UDH	9461182882	[signature]
13.	Devi lal Arya	SE (Traffic)	9414337220	[signature]
14.	UD Khan	ED(T) RSRTC	9829081900	[signature]
15.	HL Atal	JS - Education	9414890094	[signature] 24/06
16.	Nidhi Singh	Dy TC - RS	9460145972	[signature]
17.	ASHWINI BAGGA	Road Safety Expert	9636030303	[signature]
18.	Suresh chand Sharma	Sr. Automobile Engg. Motor garage Deptt.	9829120099	[signature]
19.	Mahesh Sharma	S.E (R.S. cell) Transp. Deptt.	8949039211	[signature]
20.	Dr. V.K. Mathur	Director medical and Health Services	9414004448	[signature]
21.	DR. R.P. MATHUR	Addl. Director (HA)	7742185649	[signature]
22.	Dr. L.N. Pandey	SMO Road Safety Cell Transp. Deptt.	9314242191	[signature]
23.	Bhopal Singh	Dy S.P. Road Safety Cell	9829391111	[signature]
24.	Dr P-D Pareek	Dy. secretary Transport	9950349777	[signature]

25.	Rajnish Sharma	PRO/ Transport	9829651807	[signature]
26.	M.L. Chaudhary	CE (HQ) UDH		[signature]
27.	Anil Vijayvergiya	XEN (Traffic) PWD, Rajasthan		[signature]
28.	Brijendra Singh	OSD Disaster Management	9414000240	[signature]
29.	Shantanu Bharani	Muskaan Trustee	9829388888	[signature]
30.	Neha Khullar	Director Muskaan	9414039166	[signature]
31.	Swati Dixit	Transport Department	9413346245	[signature]
32.	Prakashchand	"	9829946148	[signature]
33.	Ghanshyam Singh	Transport Dept	8696941956	[signature]
34.				
35.				
36.				
37.				